

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—391 / 2003

संस्थित दिनांक—08.09.2001

वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिरसा दमोह सामान्य

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

सुकबल पिता भोला, उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड,

निवासी—नाकाटोला, थाना बिरसा, तहसील बैहर,

जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—12/02/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—39/51 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक—01.05.2001 को नाकाटोला, आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत वन्य प्राणी कोटरी का जबड़ा एवं जंगली सूअर का उपरी जबड़ा दांतो सहित, बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे पाये गये।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—01.05.2001 को वनपरिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी सुकबल के पास लुकमा बन्दूक है, जिससे वह वन प्राणी का अवैध शिकार हमेशा करता है, तथा उसके घर में वन्य प्राणियों की हड्डी, चमड़ा आदि है। सूचना के आधार पर उप—वनमण्डलाधिकारी बैहर सामान्य द्वारा वनपाल परिक्षेत्र सहायक एस.एल. सिल्लारे को नियुक्त किया गया जो हमराह स्टाफ के साथ आरोपी का तलाशी वारंट लेकर आरोपी के घर पहुंचे। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से एक भरमार बंदूक, कोटरी का जबड़ा, जंगली सूअर का उपरी जबड़ा दांतो सहित मिला। उक्त संग्रहण के संबंध में सभी का अनुज्ञापत्र होने के संबंध में पूछने पर उसने अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा—9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9, 39/51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—01.05.2001 को नाकाटोला, आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत वन्य प्राणी कोटरी का जबड़ा एवं जंगली सूअर का उपरी जबड़ा दांतो सहित, बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे पाये गये ?

**विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-**

5— वनरक्षक मो. जमा कुरैशी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—01.05.2001 को भूतना बीट, शिकारी टोला बीट, बिरसा/दमोह वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सहायक परिक्षेत्र अधिकारी एस.एल. सिल्लारे, के.एस. कोहके उपवनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी एल.के. वासनिक व अन्य स्टॉफ के साथ आरोपी के घर सर्च वारंट लेकर गये थे। आरोपी को सर्च वारंट की जानकारी गांव में उसे एक प्रति देकर पंचनामा तैयार किया गया था। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर वन्य प्राणी कोटरी का जबड़ा तथा जंगली सूअर का जबड़ा एवं बिना लायसेंस की भरमार बंदूक भी प्राप्त हुई थी। आरोपी ने जंगली सूअर, कोटरी का सरकारी जंगल में शिकार करना बताया था। आरोपी ने जिस स्थान पर कोटरी का शिकार किया था, वह उसके द्वारा चलकर बताया गया था, जिस संबंध में उसके द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी-1 साक्षियों के समक्ष बनाया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी प्रकाशदास, मोहपत लाल चोरे के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पंचनामा प्रदर्श पी-1 के साक्षी वन विभाग के मजदूर हैं। साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

6— सहायक परिक्षेत्र एस.एल. सिल्लारे (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.05.01 को सहायक परिक्षेत्र के रूप में दमोह में पदस्थ था। वह परिक्षेत्र अधिकारी श्री वासनिक के साथ नाकाटोला गया था, उनके साथ स्टाफ के अन्य कर्मचारी भी थे। सर्च वारंट लेकर वे आरोपी सुकबल के मकान में पहुंचे तो वहां पर आरोपी सुकबल उपस्थित मिला। साक्षी ने एस.डी.ओ. कार्यालय बैहर से सर्च वारंट प्राप्त किया था, जो प्रदर्श पी-2 है। उसने सर्च वारंट की एक प्रति आरोपी सुकबल को दिखाई थी और उसकी अन्य प्रति पर सुकबल के हस्ताक्षर लिये थे, जो प्रदर्श पी-2 है। जंगली पशु कोटरी के मुंह का निचला जबड़ा एक नग, जंगली सूअर के उपर का जबड़ा दांतो सहित एक नग, एक भरमार बंदूक प्राप्त हुई थी। आरोपी से इसके संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा मौके पर आरोपी से उक्त चीजें जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सुकबल ने प्रदर्श पी-3 पर उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। उक्त तलाशी लेने के पूर्व हम सभी का रेंज ऑफिसर के द्वारा तलाशी पंचनामा बनाया गया था जो प्रदर्श पी-4 है। उसके द्वारा कंपार्टमेन्ट क्रमांक—1186 का एक ट्रेक नक्शा

प्रस्तुत किया गया है, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग वाले स्थान पर आरोपी का मकान है। उसके द्वारा पी.ओ.आर प्रदर्श पी-6 बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में शेष कार्यवाही रेंज ऑफिसर के द्वारा एवं वन रक्षक के द्वारा की गई है। उसने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

7— एस.आर. परते (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 30.04.01 को उप-मंडलाधिकारी बैहर (सामान्य) के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध सर्च वारंट जारी किया गया था जो वनपाल एस.एल.सिल्लारे को दिया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आरोपी के विरुद्ध जारी सर्च वारंट की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

8— मनोहर बांगरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। दिनांक 30.04.01 को वह बिरसा में रेंज विशेष कर्तव्य में पदस्थ था। उक्त दिनांक को रेंजर एस.के. वासनिक के साथ सुबह के समय मय स्टाफ के साथ गए थे और सुकबल के मकान से एक भरमार बंदूक, जंगली कोटरी का जबड़ा और जंगली सुअर का जबड़ा दांतों सहित मिला था, जिसकी लिखा-पढ़ी की गई थी। उक्त लिखा-पढ़ी किसने किया था, उसे याद नहीं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक और पंचनामा में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी ने अपने कथन में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन हमराह स्टाफ होने के रूप में किया है, किन्तु जप्तीपत्रक व पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर न होने के संबंध में स्पष्टीकरण न दिये जाने से यह संदेह हो जाता है कि वह हमराह स्टाफ के रूप में मौके पर था और उसके सामने ही जप्ती अधिकारी ने कार्यवाही की थी।

9— मोहपत लाल चौरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 30.04.01 को अचानकपुर में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दिन के 12-1 बजे नाकाटोला निवासी सुकबल के यहां पर वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर परिक्षेत्र अधिकारी एल.के. वासनिक मय स्टाफ के साथ गया था। ग्राम नाकाटोला में सुकबल सिंह के घर जाकर पंचनामा बनाया था। सर्च वारंट आरोपी सुकबल को देकर गांव के पंचों के समक्ष आरोपी के घर की तलाशी लिया था। पंचनामा प्रदर्श पी-4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी सुकबल के घर से भरमार बंदूक, सुअर का जबड़ा जप्त हुआ था या नहीं, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सुकबल के बयान लिये गए थे, किन्तु उसे याद नहीं है कि किसने बयान लिये थे। आरोपी के कथन प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा स्वयं अपने बयान लिखकर दिया गया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष इसके अलावा अन्य कोई

कार्यवाही नहीं हुई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी के घर पर तलाशी लिए जाने के पूर्व उसका और उसके साथ गए लोगो की तलाशी नहीं हुई और न ही तलाशी पंचनामा बनाया गया था। साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसके जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 व आरोपी सुकबल के कथन प्रदर्श पी-5 पर हस्ताक्षर हैं, किन्तु घटना के समय मौके पर आरोपी से क्या जप्त हुआ, इस संबंध में साक्षी ने अपने कथन में खुलासा नहीं किया है।

10— एल.के. वासनिक (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह जनवरी 2001 से अगस्त 2004 तक परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा-दमोह के पद पर पदस्थ था। उसे मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी के पास बंदूक है, जिससे वह वन्य प्राणी का अवैध शिकार करता है और उसके घर में वन्य प्राणी की हड्डी एवं चमड़ा है। उक्त सूचना के आधार पर उप-वनमंडलाधिकारी बैहर सामान्य द्वारा एस.एल. सिल्लारे के नाम पर आरोपी के घर तलाशी का वारंट दिनांक 30.04.01 को जारी किया गया था, तब वह एस.एल. सिल्लारे, रूपराम बिसेन, मो. जमा कुरैशी और अन्य स्टाफ के साथ आरोपी के घर ग्राम नाकाटोला गए थे। जहां उन लोगो ने वारंट की तामीली कर स्वयं की तलाशी के पश्चात् आरोपी के मकान की तलाशी लिया था। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से एक भरमार बंदूक वन्य प्राणी का निचला जबड़ा व जंगली सुअर का उपरी जबड़ा दांतो सहित मिला था। आरोपी से इस संबंध में अनुज्ञप्ति पूछे जाने पर उसने अनुज्ञप्ति पत्र न होना बतलाया था, तब उक्त सामग्री की जप्ती गवाहों के समक्ष एस.एल. सिल्लारे द्वारा किया जाकर जप्ती पत्रक बनाया गया। पी.ओ.आर. एस.एल. सिल्लारे द्वारा जारी किया गया था। उसके द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तलाशी के पश्चात् एक पंचनामा प्रदर्श पी-7 बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सुकबल ने उसके समक्ष बयान दिया था जो वनरक्षक मो. जमा कुरैशी द्वारा लिखा गया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का अपराध पाए जाने पर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वह राज्य शासन वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध की जांच करने व परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु राज्य शासन से अधिकृत हैं।

11— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 उसकी हस्तलिपि में नहीं है तथा उस पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी का कथन मो. जमा कुरैशी वनरक्षक की हस्तलिपि में, किन्तु उस पर मो. जमा कुरैशी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि आरोपी के कथन प्रदर्श पी-5 को लेख किये जाने के संबंध में स्वयं वनरक्षक मो. जमा कुरैशी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है। इसके अलावा किसी भी साक्षी ने आरोपी के बयान लेख करने का कथन अपने न्यायालयीन कथन में नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी के बयान लेखबद्ध किये जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव होने तथा उक्त साक्षी के द्वारा अनुमान के आधार पर आरोपी के कथन का लेख कथित



मो. जमा कुरैशी के द्वारा प्रकट किया जाना मामले को संदेहास्पद बनाता है।

12— प्रकाश दास (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। लगभग चार साल पूर्व उसके सामने आरोपी के घर की तलाशी ली गई थी। आरोपी के घर की तलाशी लिए जाने पर उसके घर से एक भरमार बंदूक, एक कोटरी का जबड़ा व जंगली सुअर का जबड़ा मिला था, जिसे जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं आरोपी का बयान प्रदर्श पी-5 बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने अपने बयान में अपने घर में भरमार बंदूक होना व कोटरी व जंगली सुअर का जबड़ा रखना स्वीकार किया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी के घर से क्या जप्त हुआ था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने आरोपी को पहचानने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं, जिस कारण साक्षी के कथन विश्वसनीय न होने से अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता।

13— हेमेन्द्र (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को नहीं जानता है। 6-7 साल पहले वह टेक्टर से गोबर लेने जा रहा था। ग्राम भूतना नाकाटोला में जंगल वालों ने उसे रोका था तथा उसे दस्तखत करने बोला था। उसके समक्ष आरोपी सुकबल के घर की तलाशी नहीं लिये थे। फॉरेस्ट वालों ने भी अपनी तलाशी उसके सामने नहीं दिए थे। तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह वन विभाग के अधिकारियों से घबरा गया था। वे लोग 8-10 लोग थे इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिया था। उसके सामने आरोपी के घर से भरमार बंदूक नहीं निकाले थे और न ही बंदूक शीशा मिला था। पंचनामा प्रदर्श पी-5 पर उसने वन विभाग वालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसने वन विभाग वालों को बयान नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वन विभाग वालों ने उसके सामने कोई लिखा-पढ़ी नहीं की। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से अभियोजन को किसी भी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

14— सीताराम (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी सुकबल को जानता है। उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

15— मुकेश (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपी के घर की तलाशी वन विभाग द्वारा ली गई थी। तलाशी के दौरान उसके घर से कोटरी का जबड़ा, सुअर का जबड़ा, भरमार बंदूक जप्त नहीं की गई थी। तलाशी का पंचनामा उसके समक्ष नहीं बनाया गया, किन्तु

तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-6 एवं तलाशी बाद पंचनामा प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि तलाशी के दौरान आरोपी के घर से कोटरी व सुअर का जबड़ा जप्त हुआ था। साक्षी का यह भी कहना है उसने वन विभाग वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

16— कुंवरसिंह (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी ने क्या अपराध किया उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने तलाशी पंचनामा व अन्य पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

17— हरेसिंह (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी सुकबल को जानता है। आरोपी उसके गांव का निवासी है। उसके सामने आरोपी के घर में वन विभाग वालों ने तलाशी नहीं लिए थे और न ही उसके घर का ताला तोड़ा गया था। पंचनामा तलाशी बाद कार्यवाही प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा कार्यवाही कमरे का ताला तोड़कर तलाशी लेने बाबत प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के स्वतः कथन में जब वह बिरसा जा रहा था तब वन विभाग वालों ने रास्ते में उससे हस्ताक्षर करवा लिये थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

18— नरेश (अ.सा.13) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी सुकबल को जानता है। वन विभाग के अधिकारीगण ने सुकबल के मकान की तलाशी नहीं लिये थे। तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके सामने वन विभाग के अधिकारियों को किसी भी जानवर का जबड़ा, दांत व भरमार बंदूक जप्त नहीं हुई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि तलाशी के दौरान आरोपी के घर से कोटरी व सुअर का जबड़ा जप्त हुआ था। साक्षी का यह भी कहना है उसने वन विभाग वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

19— शांतीलाल (अ.सा.14) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी सुकबल को जानता है। उसके सामने वन विभाग वालो ने आरोपी सुकबल के घर का ताला तोड़कर तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण ने साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

20— प्रेमनारायण (अ.सा.15) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी सुकबल को जानता है। वह उसे नाम व चेहरे से नहीं जानता। उसके समक्ष

आरोपी के घर की तलाशी वन विभाग के अधिकारियों ने ली थी व प्रदर्श पी-4 की लिखा-पढ़ी की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तलाश बाद कार्यवाही पंचनामा के दौरान आरोपी के मकान से बकरे का चमड़ा मिला था व अन्य कोई हथियार नहीं मिला था। वन विभाग के अधिकारियों ने तलाशी बाद का पंचनामा प्रदर्श पी-7 उसके समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने स्वतः कथन में कहा कि बकरे का चमड़ा उसके सामने तलाशी के दौरान मिला था। तलाशी बाद कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी-8 वन विभाग के अधिकारी ने की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि तलाशी के दौरान आरोपी के घर से कोटरी व सुअर का जबड़ा जप्त हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वन विभाग वालों ने उसे दस्तावेज बताए बिना उस पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

21— दुर्जन (अ.सा.16), रमेश (अ.सा.17) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसे घटना के बारे में जानकारी न होना प्रकट किया है। राजाराम (अ.सा.18) ने भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन मामले के उक्त कथित स्वतंत्र साक्षीगण एवं स्वयं विभागीय साक्षीगण ने भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जिन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के आधिपत्य से कथित कोटरी व सुअर का जबड़ा जप्त होने का समर्थन किया है अथवा आरोपी के द्वारा कथित अपराध किये जाने की स्वीकारोक्ति उपरान्त आरोपी के आधिपत्य से उक्त सामग्री जप्त किया जाना प्रकट किया है, वे सभी वन विभाग के विभागीय कर्मचारी व अधिकारी हैं। आरोपी के आधिपत्य से कथित कोटरी व सुअर का जबड़ा जप्त होने का समर्थन किसी अन्य साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। प्रेमनारायण (अ.सा.15) का कहना है कि घटना के समय आरोपी के मकान से बकरे का चमड़ा मिला था। स्वयं विभागीय साक्षीगण ने कथित कोटरी व सुअर का जबड़ा की शिनाख्ती किस आधार पर की है, इस तथ्य का खुलासा परिवादपत्र में नहीं होता और न ही इन साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट किया है।

22— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी एवं विसंगतिपूर्ण तथ्य पेश किये गए हैं। परिवादपत्र में आरोपी के बयान को किस कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा लेख किया गया है, इस तथ्य का खुलासा किसी भी साक्षी ने अपने कथन में नहीं किया है, बल्कि आरोपी के बयान के लेख किये जाने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन साक्ष्य पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार मामले में आरोपी के द्वारा कथित अपराध की संस्वीकृति को संदेह से परे अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि कथित कोटरी व सुअर का जबड़ा जप्त आरोपी से जप्त किया गया था, तब जप्त किये गए कथित कोटरी व सुअर का जबड़ा को जांच

हेतु विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के तथ्य को अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। अभियोजन के किसी साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में वाईल्ड लाईफ फारेंसिक सेल में जांच हेतु भेजे जाने के संबंध में कथन नहीं किया है।

23— प्रकरण में प्रस्तुत फारेंसिक रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 में यह उल्लेख है कि प्रकरण क्रमांक-3863/02, 3862/15, 11106/08 एवं 10547/18 के संबंध में भेजे गए नमूना की जांच में तीन बिन्दुवार रिपोर्ट के अंतर्गत तेंदुआ, काला हिरन व जंगली सुअर के अवयव होने की जानकारी है। यद्यपि किस मामले में कौन से वन्य प्राणी का अवयव की जांच की गई, यह स्पष्ट नहीं होता है। इस मामले में कथित कोटरी व सुअर का जबड़ा जप्त होना प्रकट किया गया है, किन्तु कथित कोटरी व सुअर के जबड़े के संबंध में नमूना सीलबंद कर उक्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजे जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव है, तथा प्राप्त फारेंसिक रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि जांच किये गए चार प्रकरण में से किस प्रकरण के नमूना के रूप में कथित वन्य प्राणी के अवयव की पहचान की गई है। इस प्रकार मात्र अधिसंभावना के आधार पर फारेंसिक रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 से इस मामले में ही जप्त कथित वन्य प्राणी कोटरी व सुअर के जबड़े की ही जांच रिपोर्ट पेश होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दांडिक मामले में अधिसंभावना व अनुमान के आधार पर अभियोजन अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत व तथ्य को प्रमाणित करने हेतु निर्भर नहीं रह सकता, बल्कि अभियोजन को ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर उक्त तथ्य को साबित किया जाना होता है।

24— प्रकरण में वन विभाग के अधिकारी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध कथित वन्य प्राणी के जबड़े के साथ भरमार बंदूक भी जप्त किये जाने का उल्लेख है, किन्तु भरमार बंदूक के संबंध में पुलिस थाने में सूचना दिए जाने तथा आरोपी के विरुद्ध पृथक से आपराधिक मामला पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा कथित वन अपराध के अलावा अन्य अपराध किये जाने के संबंध में पुलिस को सूचना दिए जाने के अभाव से भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, जबकि बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करना होता है। इस मामले में अभियोजन की ओर से कई संदेहास्पद परिस्थितियां, विसंगति व परस्पर विरोधाभास है, जिन्हें अभियोजन ने साक्ष्य में दूर नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह की परिधि में आता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

25— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में वन्य प्राणी कोटरी का जबड़ा एवं



जंगली सूअर का उपरी जबड़ा दांतों सहित, बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 39/51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

26— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

27— प्रकरण में आरोपी दिनांक-02.05.2001 से दिनांक 15.05.2001 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

28— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति पेश नहीं है। जप्तशुदा संपत्ति वन्य प्राणी कोटरी का जबड़ा एवं जंगली सूअर का उपरी जबड़ा का विधिवत् नष्टीकरण किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त बालाघाट एवं जप्तशुदा भरमार बंदूक का विधिवत् निराकरण हेतु जिला कलेक्टर बालाघाट को अपील अवधि पश्चात् सौंपा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिखित  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)